संलग्नक–1

राजस्व परिषद्
उत्तराखण्ड, देहरादून
संख्याः–5760 / 2026
देहरादून, दिनांकः 10 सितम्बर, 2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उ0प्र0 अधिनियम संख्याः–1, 1904) की धारा 21 सपठित उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 3) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 234 की उपधारा (1) के खण्ड (ख, ङ एवं च) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2020 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं अर्थात् :–

उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2026 है।
		(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 2 का संशोधन	2.	(1)	उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2020 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है), में नियम 2 में – (i) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

			स्तम्भ–1		स्तम्भ–2
			विद्यमान खण्ड		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
		(क)	"आबादी" या "ग्रामीण आबादी" से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है जो अन्तिम बन्दोबस्त अथवा चकबन्दी बन्दोबस्त के भू–मानचित्र में आबादी प्रयोजनों के लिए दर्ज या आरक्षित किया गया हो।	(क)	"आबादी" या "ग्रामीण आबादी" से ग्राम अथवा नगर निकाय के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जो– (i) ग्राम या नगर निकाय के अधिकार अभिलेख (आर0ओ0आर0) अथवा भू–अभिलेखों में आबादी के रूप में अंकित हों; या (ii) निजी स्वामित्व वाली भूमि, जिसे निवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो; या (iii) वह भूमि, जो नियमों के अन्तर्गत निवास हेतु आवंटित की गई हो; या (iv) जिसे अन्तिम बन्दोबस्त अथवा चकबन्दी बन्दोबस्त के भू–मानचित्र में आबादी प्रयोजनों के लिए दर्ज या आरक्षित किया गया हो।
		(ii) खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थातः–			

				(ड)	**"नगरीय स्थानीय निकाय"** से नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत अथवा छावनी परिषद् अभिप्रेत है।
				(ढ)	**"सक्षम प्राधिकारी"** से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लेखपाल/पटवारी तथा नगरीय क्षेत्रों में लेखपाल/पटवारी के समकक्ष नामित स्थाई कार्मिक अभिप्रेत है।
				(ण)	**"भू-मानचित्र-1"** से तकनीकी विभाग द्वारा प्रदान किया गया प्रारम्भिक सर्वेक्षण मानचित्र अभिप्रेत है।
				(त)	**"भू-मानचित्र-2" से** फील्ड सर्वेक्षण के उपरान्त तैयार किया गया मानचित्र अभिप्रेत है।
नियम 4 का संशोधन	3.		**मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-**		
			स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**	
			विद्यमान उपनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**	
		(2)	कलेक्टर/जिला अभिलेख अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया की अधिसूचना जारी किये जाने के उपरान्त अपने जिले में सर्वेक्षण किये जाने वाले ग्रामों से सम्बन्धित कार्यक्रम की सूचना सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या-2 पर जारी करेगा और सम्बन्धित ग्रामों के अद्यतन राजस्व अभिलेख एवं अन्य अभिलेख (खतौनी, खसरा, मानचित्र एवं जिल्द बन्दोबस्त आदि यदि उपलब्ध है, तो उसका एक सेट) सम्बन्धित सहायक अभिलेख अधिकारी को उपलब्ध करायेगा। सहायक अभिलेख अधिकारी, तकनीकी एजेन्सी के नामित अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर सर्वेक्षण कार्यक्रमों की गतिविधियों और उसमें लगने वाले समयावधि का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित को सूचित करेगा।	(2) कलेक्टर/जिला अभिलेख अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया की अधिसूचना जारी किये जाने के उपरान्त अपने जिले में सर्वेक्षण किये जाने वाले ग्रामों अथवा नगरीय स्थानीय निकायों से सम्बन्धित कार्यक्रम की सूचना सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या-2 में जारी करेगा और सम्बन्धित ग्रामों अथवा नगरीय स्थानीय निकायों के अद्यतन राजस्व अभिलेख एवं अन्य अभिलेख (खतौनी, खसरा, मानचित्र एवं जिल्द बन्दोबस्त आदि, यदि उपलब्ध हैं, तो उसका एक सेट) सम्बन्धित सहायक अभिलेख अधिकारी को उपलब्ध करायेगा। सहायक अभिलेख अधिकारी तकनीकी एजेन्सी के नामित अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर सर्वेक्षण कार्यक्रमों की गतिविधियों और उसमें लगने वाले समयावधि का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित को सूचित करेगा।	
नियम 5 का संशोधन	4.	**मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-**			
			स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**	
			विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**	
		(1)	सहायक अभिलेख अधिकारी,	(1)	सहायक अभिलेख अधिकारी,

			प्रत्येक ग्राम या स्थानीय निकाय में सर्वेक्षण गतिविधियों की चरणबद्ध तिथियां निर्धारित करेगा तथा इन गतिविधियों की जानकारी हेतु पंचायत राज विभाग, सम्बन्धित तकनीकी एजेन्सी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को सूचित करेगा।		ग्राम या नगरीय स्थानीय निकाय में सर्वेक्षण गतिविधियों की चरणबद्ध तिथियां निर्धारित करेगा तथा इन गतिविधियों की जानकारी हेतु पंचायत राज विभाग अथवा नगरीय स्थानीय निकाय, सम्बन्धित तकनीकी एजेन्सी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को सूचित करेगा।
		(2)	सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के निर्देशन में ग्राम सभा या स्थानीय निकाय की बैठकें सम्बन्धित ग्रामों/स्थानीय निकायों में आयोजित की जायेगी, बैठक के आयोजन की सूचना सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–3 में कम से कम एक सप्ताह पूर्व ग्रामवासियों को दी जायेगी। बैठकों की सूचना सम्बन्धित थानाध्यक्ष को भी दी जायेगी।	(2)	सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के निर्देशन में ग्राम सभा या नगरीय स्थानीय निकाय की बैठकें सम्बन्धित ग्रामों अथवा नगरीय स्थानीय निकायों में आयोजित की जायेगी, बैठक के आयोजन की सूचना सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–3 में कम से कम एक सप्ताह पूर्व ग्रामवासियों अथवा नगरीय स्थानीय निकाय वासियों को दी जायेगी। बैठकों की सूचना सम्बन्धित थानाध्यक्ष को भी दी जायेगी।
		(3)	बैठक में सर्वेक्षण पद्धति, सर्वेक्षण गतिविधियों एवं उनकी प्रक्रियाओं तथा सर्वेक्षण से होने वाले लाभों की जानकारी ग्रामवासियों को दी जायेगी। सर्वेक्षण का क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जायेगा।	(3)	बैठक में सर्वेक्षण पद्धति, सर्वेक्षण गतिविधियों एवं उनकी प्रक्रियाओं तथा सर्वेक्षण से होने वाले लाभों की जानकारी ग्रामवासियों अथवा नगरीय स्थानीय निकाय वासियों को दी जायेगी। सर्वेक्षण का क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा।
नियम 6 का संशोधन	**5.**		**मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के उपनियम (1) तथा (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेगें, अर्थात्–**		
			स्तम्भ–1		**स्तम्भ–2**
			विद्यमान उपनियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
		(1)	सहायक अभिलेख अधिकारी ग्राम या स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण हेतु आवश्यकतानुसार सर्वे टीमों का गठन करेगा, जिसमें सम्बन्धित ग्राम या स्थानीय क्षेत्र के लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी अनिवार्य रूप से तथा आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के कर्मचारियों को सम्मिलिति किया जायेगा।	(1)	सहायक अभिलेख अधिकारी, ग्राम या नगरीय स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण हेतु आवश्यकतानुसार सर्वे टीमों का गठन करेगा, जिसमें सम्बन्धित ग्राम या नगरीय स्थानीय निकाय के लेखपाल/पटवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र का स्थाई कार्मिक अनिवार्य रूप से तथा आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के कर्मचारियों को सम्मिलित किया जायेगा।
		(3)	सहायक अभिलेख अधिकारी के	(3)	सहायक अभिलेख अधिकारी के

			नियंत्रण में सर्वे कानूनगो, सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उसके द्वारा गठित टीम और तकनीकी एजेन्सी द्वारा नामित टीम के समन्वय से आधुनिक तकनीक से ग्राम के आबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण का कार्य करेगा।		नियत्रंण में सर्वे कानूनगो, सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उसके द्वारा गठित टीम और तकनीकी एजेन्सी द्वारा नामित टीम के समन्वय से आधुनिक तकनीक से ग्राम अथवा नगरीय स्थानीय निकाय के आबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण का कार्य सर्वे नायब तहसीलदार के निर्देशन में करेगा।
नियम 7 का संशोधन	6.	(i)	**मूल नियमावली में नियम 7 में– नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–**		
			स्तम्भ–1		**स्तम्भ–2**
			विद्यमान उपनियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
		(2)	प्रत्येक आबादी गाटा का सर्वेक्षण, भू–खण्डों के आरोही क्रम में किया जायेगा। मापन का कार्य राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से तकनीकी एजेन्सी के माध्यम से आधुनिक सर्वेक्षण पद्धति एवं मशीनों द्वारा किया जायेगा।	(2)	प्रत्येक आबादी गाटा का सर्वेक्षण, भू–खण्डों के आरोही अनुक्रम में किया जायेगा। मापन का कार्य राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से तकनीकी एजेन्सी के माध्यम से आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकी पद्धति एवं मशीनों यथाः डीजीपीएस, ईटीएस, रोवर इत्यादि द्वारा किया जायेगा।
		(ii)	उपनियम (3) में "ग्राम या स्थानीय निकाय" शब्दों के स्थान पर "ग्राम या नगरीय स्थानीय निकाय" एवं "ग्राम पंचायत/भूमि प्रबन्धन समिति" शब्दों के स्थान पर "ग्राम पंचायत/भूमि प्रबन्धन समिति/नगरीय स्थानीय निकाय," शब्द रख दिये जायेगें,		
नियम 11 का संशोधन	7.		**मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 11 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–**		
			स्तम्भ–1		**स्तम्भ–2**
			विद्यमान उपनियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
		(2)	सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा प्रारम्भिक सम्पत्ति अभिलेख एवं सर्वेक्षण भू–मानचित्र–2 का पूर्ण सत्यापन गांव में यथासंभव ग्राम प्रधान एवं अधिकाधिक निवासियों को एकत्रित करके उनकी उपस्थिति में अभिलेख को पढ़कर तथा सम्बन्धित सम्पत्ति मालिक को उक्त अभिलेख की प्रत्येक प्रविष्टि की व्याख्या करके किया जायेगा। **(अभिज्ञात त्रुटियों तथा विवादों या किए गए दावों की प्रविष्टि सर्वेक्षण प्रपत्र–5 की त्रुटियों एवं विवादों की सूची में की जायेगी)**	(2)	सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा प्रारम्भिक सम्पत्ति अभिलेख एवं सर्वेक्षण भू–मानचित्र–2 का पूर्ण सत्यापन गांव अथवा **नगरीय स्थानीय निकाय** में यथासंभव अधिकाधिक निवासियों को एकत्रित करके उनकी उपस्थिति में अभिलेख को पढ़कर तथा सम्बन्धित सम्पत्ति मालिक को उक्त अभिलेख की प्रत्येक प्रविष्टि की व्याख्या करके किया जायेगा। अभिज्ञात त्रुटियों तथा विवादों या किए गए दावों की प्रविष्टि सर्वेक्षण प्रपत्र–5 की त्रुटियों एवं विवादों की

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>सर्वेक्षण नायब तहसीलदार भी प्रारम्भिक सम्पत्ति अभिलेख के 25 प्रतिशत तक सम्बन्धित प्रविष्टियों की जांच करेगा तथा संगत अभिलेखों से उनका सत्यापन करेगा।</td><td></td><td>सूची में की जायेगी।
सर्वेक्षण नायब तहसीलदार भी प्रारम्भिक सम्पत्ति अभिलेखों की प्रविष्टि के 25 प्रतिशत तक सम्बन्धित प्रविष्टियों की जांच करेगा तथा संगत अभिलेखों से उनका सत्यापन करेगा।</td></tr>
<tr><td>नियम 12 का संशोधन</td><td>8.</td><td></td><td colspan="3">मूल नियमावली में नियम 12 में शब्द ''ग्राम प्रधान एवं अधिकाधिक सम्पत्ति मालिकों'' के स्थान पर "ग्राम प्रधान अथवा सभासद (पार्षद) एवं अधिकाधिक सम्पत्ति मालिकों" शब्द रख दिये जायेगें।</td></tr>
<tr><td>नियम 13 का संशोधन</td><td>9.</td><td></td><td colspan="3">मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">विद्यमान उपनियम</td><td colspan="2">एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(2)</td><td>सर्वेक्षण नायब तहसीलदार सम्पत्तियों की पड़ताल कार्य की त्रुटियों तथा विवादों की सूची में की गयी 25 प्रतिशत तक प्रविष्टियों की भी जांच करेगा। सहायक अभिलेख अधिकारी भी कार्य की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के विचार से विभिन्न अभिलेखों में की गयी प्रविष्टियों की पर्याप्त संख्या की जांच करेगा।</td><td>(2)</td><td>(क) सर्वेक्षण नायब तहसीलदार सम्पत्तियों की पड़ताल कार्य की त्रुटियों, विवादों की सूची में दर्ज की गयी प्रविष्टियों के कार्यो की परिशुद्धता की जांच करने हेतु 25 प्रतिशत प्रविष्टियों की जांच करेगा।
(ख) सहायक अभिलेख अधिकारी सम्पत्तियों की पड़ताल कार्य की त्रुटियों, विवादों की सूची में दर्ज की गयी प्रविष्टियों में कार्य की परिशुद्धता की जांच करने हेतु 10 प्रतिशत प्रविष्टियों की जांच करेगा।
(ग) अभिलेख अधिकारी सम्पत्तियों की पड़ताल कार्य की त्रुटियों, विवादों की सूची में दर्ज की गयी प्रविष्टियों में कार्य की परिशुद्धता की जांच करने हेतु 05 प्रतिशत प्रविष्टियों की जांच करेगा।
टिप्पणी– खण्ड (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित अधिकारियों द्वारा पृथक–पृथक प्रविष्टियों की जांच की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>नियम 14 का संशोधन</td><td>10.</td><td></td><td colspan="3">मूल नियमावली के नियम 14 के उपनियम (2) में शब्द "अभिलेख पर्ची" के स्थान पर "सम्पत्ति पर्ची" शब्द रख दिये जायेगें।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">स्तम्भ–1</td><td colspan="2">स्तम्भ–2</td></tr>
<tr><td>नियम 16 का संशोधन</td><td>11.</td><td></td><td colspan="3">मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">स्तम्भ–1</td><td colspan="2">स्तम्भ–2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">विद्यमान उपनियम</td><td colspan="2">एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(1)</td><td>इसके बाद, सर्वेक्षण नायब</td><td>(1)</td><td>इसके बाद, सर्वेक्षण नायब</td></tr>
</table>

			तहसीलदार सम्पत्ति अभिलेखों में की गयी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में प्राप्त समस्त विवादों तथा दावों (लिपिकीय त्रुटियों से भिन्न) तथा आपत्तियों, यदि कोई हों, पर भी जांचों को उसी गांव में ही करना आरम्भ करेगा। वह धारा 54 के अधीन सुलह के आधार पर विवादों का विनिश्चय करते हुए सुलह की शर्तों को, सर्वेक्षण प्रपत्र–5 (भाग–दो) में त्रुटियों तथा विवादों की सूची के संगत स्तम्भ में भूमि प्रबन्धन समिति के न्यूनतम दो सदस्यों अथवा ग्राम के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों/ग्राम प्रधान की उपस्थिति में अभिलिखित करेगा। उक्त शर्तों को सम्बन्धित पक्षकारों को पढ़कर सुनाया जाएगा और उनके हस्ताक्षर या निशानी–अंगूठा प्राप्त किये जायेंगे। भूमि प्रबन्धन समिति के उपस्थित सदस्य अथवा उपरोक्तानुसार व्यक्ति भी सुलह की शर्तों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके पश्चात् सर्वेक्षण नायब तहसीलदार अभिलेखों में की जाने वाली प्रमित प्रविष्टियों का विनिर्देश करते हुए सुलह की शर्तों पर विवादों के विनिश्चय के आदेशों को सर्वेक्षण प्रपत्र–5 के संगत स्तम्भ में अभिलिखित करेगा। सर्वेक्षण नायब तहसीलदार द्वारा राज्य सरकार से सम्बन्धित या गांव सभा में निहित भूमि के सम्बन्ध में कोई एकपक्षीय आदेश साक्ष्य के अभाव में पारित नहीं किया जाएगा।		तहसीलदार सम्पत्ति अभिलेखों में की गयी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में प्राप्त समस्त विवादों तथा दावों (लिपिकीय त्रुटियों से भिन्न) तथा आपत्तियों, यदि कोई हों, पर भी जांचों को उसी गांव में ही करना आरम्भ करेगा। वह धारा 54 के अधीन सुलह के आधार पर विवादों का विनिश्चय करते हुए, सुलह की शर्तों को, सर्वेक्षण प्रपत्र–5 (भाग–दो) में त्रुटियों तथा विवादों की सूची के संगत स्तम्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों/ग्राम प्रधान अथवा नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्रों में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों/सभासद (पार्षद) की उपस्थिति में अभिलिखित करेगा। उक्त प्रविष्टियों को सम्बन्धित पक्षकारों को पढ़कर सुनाया जाएगा और उनके हस्ताक्षर या निशानी–अंगूठा प्राप्त किये जायेंगे। इसके पश्चात सर्वेक्षण नायब तहसीलदार अभिलेखों में की जाने वाली प्रविष्टियों का विनिर्देश करते हुए, सुलह की शर्तों पर विवादों के विनिश्चय के आदेशों को सर्वेक्षण प्रपत्र–5 के संगत स्तम्भ में अभिलिखित करेगा। सर्वेक्षण नायब तहसीलदार राज्य सरकार से सम्बन्धित या गांव सभा में निहित भूमि के सम्बन्ध में कोई भी आदेश राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना पारित नहीं करेगा।
नियम 17 का संशोधन	**12.**	मूल नियमावली में नियम 17 में उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम अंतः स्थापित कर दिये जायेगें, अर्थातः–			
		(5)	(क)	सर्वेक्षण में की गई किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपने भूखण्ड के किसी त्रुटि के सम्बन्ध में निर्धारित समय के भीतर सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कर सकता है।	
			(ख)	सहायक अभिलेख अधिकारी, कोई आपत्ति प्राप्त होने पर त्रुटि या चूक का संज्ञान लेते हुए, त्रुटि के सुधार के लिए, जैसा भी मामला हो, सभी सम्बन्धित पक्षों की सहमति या सहमति के आधार पर निर्णय लेगा।	
			(ग)	सहायक अभिलेख अधिकारी का निर्णय सर्वेक्षण नायब तहसीलदार द्वारा अभिलेख के संगत स्तम्भ में सर्वे लेखपाल के माध्यम से दर्ज करवाया जाएगा तथा तदनुसार संशोधित किया जाएगा।	

		(6)	पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार जांच समाप्त होने पर सहायक अभिलेख अधिकारी निम्नलिखित का स्वच्छ अभिलेख तैयार करायेगा–	
			(क)	मानचित्र (ऑन लाइन की हार्ड कॉपी)
			(ख)	सर्वेक्षण प्रपत्र–8(1) में पुनरीक्षित खसरा।
			(ग)	सर्वेक्षण प्रपत्र–8(2) में पुनरीक्षित खतौनी।
नियम 19 का संशोधन	13.		मूल नियमावली में नियम 19 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्याकित कर दिया जायेगा तथा इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–	
		(2)	**नगरीय संपत्ति हेतु अप्रो कार्ड जारी करना–** नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक भू–खण्ड हेतु अरबन प्रोपर्टी (अप्रो) कार्ड का निर्माण संबंधित सर्वेक्षण दल के द्वारा स्थल पर तैयार किये गये प्रपत्रों के आधार पर ही किया जायेगा। अरबन प्रोपर्टी (अप्रो) कार्ड का निर्माण भौतिक अथवा डिजीटल फॉर्मेट में प्रपत्र–10 के अनुरूप किया जायेगा। अंकित विवरणों का मिलान रिकार्डेड अभिलेखों के आधार पर किया जायेगा। तैयार किए गए अप्रो (Urban Property) कार्ड को अभिलेखागार में संरक्षित किया जायेगा।	
नियम 21 का संशोधन	14.		मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–	
			स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
			विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
		21.	पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार तैयार किये गये अभिलेख अभिलेख किया का ग्रन्थ कहलाएंगे। इसकी एक–एक प्रति कलेक्टर के अभिलेखागार, लेखपाल, ग्राम पंचायत कार्यालय, राज्य स्तर पर राजस्व परिषद् के अभिलेखागार एवं पंचायत निदेशालय में संचित की जायेगी। प्रारम्भिक सम्पत्ति अभिलेख प्रपत्र–4 भी कलेक्टर के अभिलेखागार में संचित किया जायेगा। इनकी सॉफ्ट कॉपी एन0आई0सी0 द्वारा संरक्षित की जायेगी।	21. पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार तैयार किये गये अभिलेख, अभिलेख संक्रिया ग्रन्थ (Treatise) कहलाएंगे। इसकी एक–एक प्रति कलेक्टर के अभिलेखागार, लेखपाल, ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय निकाय कार्यालय, राज्य स्तर पर राजस्व परिषद् के अभिलेखागार में संचित की जायेंगी। प्रारम्भिक सम्पत्ति अभिलेख प्रपत्र–4 भी कलेक्टर के अभिलेखागार में संचित किया जायेगा। इनकी सॉफ्ट कॉपी एन0आई0सी0 द्वारा संरक्षित की जायेगी।
नियम 23 का संशोधन	15.		**मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–**	
			स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
			विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
		23.	परिषद् की सिफारिश पर, राज्य सरकार द्वारा धारा–48 के अधीन अधिसूचना जारी कर सकती है जिसमें कियाबन्द किये जाने	23. राजस्व परिषद् की सिफारिश पर, राज्य सरकार, धारा–48 के अधीन अधिसूचना जारी कर सकती है, जिसमें संक्रिया समाप्त किये जाने की घोषणा की

			की घोषणा की जाएगी। इस अधिसूचना के जारी होने पर भू–अभिलेख के अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य जिले के कलेक्टर को अन्तरित हो जायेगा।		जाएगी। इस अधिसूचना के जारी होने पर भू–अभिलेखं के अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य जिले के कलेक्टर को अन्तरित हो जायेगा। सहायक अभलेख अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि सर्वेक्षण के दौरान तैयार किये गये समस्त अभिलेखों को क्रमबद्ध करवा कर जिला अभिलेखागार में सुरक्षित रूप से संचित कराएगा तथा जिला अभिलेख अधिकारी के माध्यम से इसकी सूचना राजस्व परिषद् को प्रेषित की जायेगी।
नियम 25 का संशोधन	**16.**		**मूल नियमावली में नीर्च स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 25 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–**		
			स्तम्भ–1		**स्तम्भ–2**
			विद्यमान नियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
		25(1)	विकय, दान, वसीयत, अर्जन, विनिमय आदि या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण (निर्विवाद उत्तराधिकार को छोड़कर) किये जाने पर आबादी सम्पत्तियों के नामान्तरण के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन कम्प्यूटरीकृत सम्पत्ति अभिलेख, (सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 में) सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा तथा सर्वेक्षण भू–मानचित्र–3 में जिला अभिलेख अधिकारी द्वारा कराया जायेगा।	25(1)	(क)अविवादित मामलों में, जहाँ भूखण्ड के स्वामी के नाम में परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से हो– (i)उत्तराधिकार; या (ii)पंजीकृत विक्रय विलेख; या (iii)पंजीकृत दाननामा; या (iv)सरकार या सरकारी उपक्रम द्वारा कराई गई नीलामी, या (v)भूमि अधिग्रहण; या (vi)पंजीकृत वसीयत; या (vii)न्यायालय की डिक्री (आदेश); या (viii)बंटवारा; या उप–विभाजन; या (ix)लिखित पारिवारिक समझौता; या (x)विनियम आदि के आधारों पर सम्पत्ति का नामांतरण प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा। (ख) उपनियम (1) (क) (i) के अतिरिक्त अन्य अविवादित मामलों में, सहायक अभिलेख अधिकारी, अभिलेखों को अद्य तन उस प्रकार करेंगे, जैसा अधिनियम की धारा 54 में निर्धारित है। (ग) उत्तराधिकार से सम्बन्धित अविवादित मामलों में सर्वे नायब तहसीलदार, अभिलेखों

					को अद्यतन उस प्रकार करेगा, जैसा अधिनियम की धारा 54 में निर्धारित किया गया है। (घ) संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्ति के अविवादित नामान्तरण हेतु सह–स्वामियों की सहमति अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र अनिवार्य है। (ङ) नामान्तरण में विवाद उत्पन्न होने पर, सहायक अभिलेख अधिकारी सम्बन्धित मामले को विवादित घोषित कर, अभिलेखों को अद्यतन उस प्रकार करेगा, जैसा अधिनियम की धारा 54 में निर्धारित किया गया है।
		(2)	आबादी अथवा ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रकिया पूर्ण होने के बाद सम्बन्धित ग्राम या स्थानीय निकाय को सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रकिया से बाहर किये जाने की अधिसूचना शासन से निर्गत होने के पश्चात यदि कोई विवाद या समझौता होता है तो सम्बन्धित पक्षकार सक्षम अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रविष्टि सम्पत्ति अभिलेख सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा तथा सर्वेक्षण भू–मानचित्र संख्या–3 में जिला अभिलेख अधिकारी द्वारा करायी जायेगी।	(2)	(क) सर्वेक्षण और रिकॉर्ड संक्रिया पूर्ण होने के बाद सम्बन्धित ग्राम या नगरीय स्थानीय निकाय को सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया से बाहर किये जाने की अधिसूचना शासन से निर्गत होने के पश्चात्, कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने स्वामित्व वाले प्लॉट के सर्वे के लिए असिटेन्ट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) को आवेदन कर सकता है और असिटेन्ट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) नियमानुसार कार्यवाही करेगा। (ख) नामान्तरण और अभिलेखों के अद्यतन के लिए भी असिटेन्ट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) को आवेदन किया जा सकता है– (i) किसी भी लिपिकीय त्रुटि या चूक के सुधार के लिए, (ii) फोन नम्बर एवं पता अद्यतन करने के लिए, (ग) उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) के अन्तर्गत किसी आवेदन की प्राप्ति पर, या सम्पत्ति में किसी त्रुटि या चूक की सूचना मिलने पर, असिटेन्ट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) आवश्यकतानुसार जांच करवायेगा। समुचित परीक्षण के बाद वह सम्पत्ति की

					प्रविष्टि को अद्यतन करेगा। (घ) विवादित नामान्तरण के मामलों में सम्बन्धित पक्ष कलेक्टर के न्यायालय में अपील कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

(आयुक्त एवं सचिव)
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।